

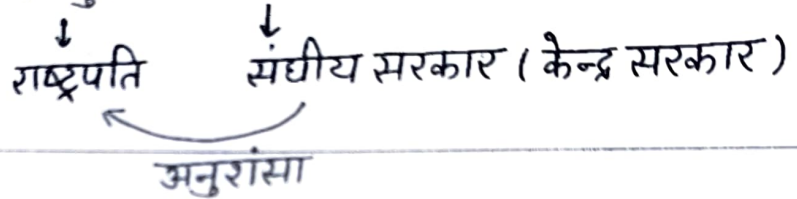
भाग- 6 (राज्य)

कार्यपालिका → राज्यपाल

Art. 153 :- एक राज्य का एक राज्यपाल होगा है किन्तु एक से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। 7 वाँ संविधान संशोधन

Art. 154 :- राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित हैं। उसका प्रयोग वह अपने अधीनस्थों के माध्यम से संविधान के अनुरूप करेगा।

Art. 155 :- राज्यपाल की नियुक्ति व चयन



राज्यपाल नियुक्त हो या निर्वाचित -
नियुक्ति के पक्ष में तर्क -

- ① यदि राज्यपाल प्रत्यक्ष निर्वाचित होगा तो राज्यपाल व मुख्यमंत्री के मध्य संघर्ष की सम्भावना रहेगी।
- ② जब राज्यपाल नाममात्र का संवैधानिक प्रधान है तो चुनाव जैसी जटिल प्रक्रिया को क्यों अपनाया जाये और अनावश्यक वित्तीय बोझ बढ़ाया जाए / क्यों वहन करें ?
- ③ निर्वाचित राज्यपाल स्वाभाविक रूप से किसी दल से जुड़ा होगा, उससे निष्पक्ष व निस्वार्थ भूमिका की अपेक्षा नहीं की जा सकती।
- ④ राज्यपाल का प्रत्यक्ष निर्वाचन राज्य में स्थापित संसदीय शासन प्रणाली के प्रतिकूल हो सकता है।
- ⑤ राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल के माध्यम से केन्द्र सरकार का राज्यों पर नियंत्रण बना रहेगा।